रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 25, 2007/वैशाख 5, 1929
No. 470] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 25, 2007/VAISAKHA 5, 1929

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2007

का.आ. 648(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

आदेश

श्री विकास कुमार आर्य, अधिवक्ता और सचिव, ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम फार सिविल लिबर्टीज द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन छह संसद् सदस्यों, अर्थात् (1) प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, (2) श्री संतोष गंगवार, (3) सुश्री जयाबेन ठक्कर (4) श्री किरेन रिजिजू, (5) श्री कैलाश जोशी और (6) श्री अजीत कुमार सिंह की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाते हुए तारीख 28 मार्च, 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;

और राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 31 मार्च, 2006 के एक निर्देश द्वारा ऊपर उल्लिखित छह संसद् सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न के बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी है कि क्या वे संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं;

और निर्वाचन आयोग ने दो संसद् सदस्यों, अर्थात् (1) प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और (2) श्री अजीत कुमार सिंह के संबंध में अपनी राय पहले ही दे दी है;

और निर्वाचन आयोग ने यह कथन किया है कि वर्तमान राय श्री किरेन रिजिजू और श्री कैलाश जोशी की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है;

और निर्वाचन आयोग शेष दो संसद् सदस्यों, अर्थात् सुश्री जयाबेन ठक्कर और श्री संतोष गंगवार के संबंध में अपनी राय पृथक् रुप से देने का प्रस्ताव करता है;

और याची ने यह अभिकथन किया है कि श्री किरेन रिजिजू सदस्य, खादी और ग्राम उद्योग आयोग और श्री कैलाश जोशी सदस्य, राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के पद धारण कर रहे थे और याची ने यह दलील दी है कि ये पद लाभ के पद हैं और संसद् सदस्यों ने संबंधित पदों को धारण करने के कारण संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन निरर्हता उपगत की है;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि चूंकि दोनों मामलों में प्रश्नगत पदों पर नियुक्ति सदस्यों के संसद् सदस्यों (लोक सभा) के रुप में उनके निर्वाचन से पूर्व की गई थी, इसलिए ये निर्वाचन पूर्व निरर्हता के मामले हैं और निर्वाचन पूर्व निरर्हता के मामले होने के कारण, यदि कोई निरर्हता आकर्षित हुई भी है तो अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता और इसलिए, यह याचिका जहां तक इसका संबंध श्री कैलाश जोशी और श्री किरेन रिजिजू की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से है, चलने योग्य नहीं है;

अतः, अब, मैं, आ० प० जे० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, यह अभिनिर्धारित करता हूं कि श्री विकास कुमार आर्य की याचिका, जहां तक उसका संबंध श्री कैलाश जोशी और श्री किरेन रिजिजू की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से है, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन चलने योग्य नहीं है।

10 अप्रैल, 2007

भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं. एच-11026(7)/2007-वि. II]

डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल, अपर सचिव

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

2006 का निर्देश मामला सं. 35

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

निर्देश :

संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन श्री किरेन रिजिजू और श्री कैलाश जोशी संसद सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता ।

राय

संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से तारीख 31 मार्च, 2006 का एक निर्देश प्राप्त हुआ था जिसमें संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद के सदस्य होने के लिए छह संसद सदस्यों अर्थात् (1) प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (लोक सभा), (2) श्री संतोष गंगवार, संसद सदस्य (लोक सभा), (3) सुश्री जयाबेन ठक्कर (लोक सभा), (4) श्री किरेन रिजिजू (लोक सभा), (5) श्री कैलाश जोशी (लोक सभा) और (6) श्री अजीत कुमार सिंह (लोक सभा) की अभिकथित निर्रहता के प्रश्न पर आयोग की राय मांगी गई थी ।

2. पूर्वोक्त छह व्यक्तियों की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न श्री विकास कुमार आर्य, अधिवक्ता और सचिव, ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज (एआईएलएफसीएल) द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत तारीख 28 मार्च, 2006 की याचिका में उठाया गया था । याचिका में उल्लिखित छह संसद सदस्यों में से (1) प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (लोक सभा), और (2) श्री अजीत कुमार सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा) के संबंध में आयोग ने अपनी राय पहले ही दे दी है ।

3. वर्तमान राय श्री किरेन रिजिजू और श्री कैलाश जोशी (याचिका में दो प्रत्यर्थी) की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है ।

4. शेष दो संसद सदस्यों, अर्थात् सुश्री जयाबेन ठक्कर और श्री संतोष गंगवार के संबंध में राय पृथक् रूप से दे दी जाएगी क्योंकि उनके मामले में अभी जांच चल रही है । श्री किरेन रिजिजू से संबंधित याचिका में यह अभिकथन था कि वह खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य का पद धारण कर रहा था और श्री कैलाश जोशी के संबंध में यह अभिकथन था कि वह राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्य का पद धारण कर रहा था । याची ने यह दलील दी है कि प्रत्यर्थियों द्वारा धारित ऊपर उल्लिखित षद लाभ के पद हैं और प्रत्यर्थियों ने संबंधित पदों को धारण करने के कारण अनुच्छेद 102 (1)(क) के अधीन निरर्हता उपगत कर ली है । याची ने यह और कथन किया है कि प्रत्यर्थी लाभ के पद धारण करने के कारण विभिन्न वित्तीय फायदे/परिलब्धियों/विशेषाधिकार के हकदार रहे हैं और इस प्रकार प्रत्यर्थी संसद के सदस्य होने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से निरर्हित हो गए हैं ।

5. तथापि, याचिका के साथ इस दलील के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं लगा हुआ था कि वे पद, जिन पर प्रत्यर्थियों को नियुक्त किया गया था सरकार के अधीन लाभ के पद थे । याचिका में निर्दिष्ट पदों पर प्रत्यर्थियों की नियुक्तियों की तारीखों के संबंध में याचिका में आधारिक जानकारी भी अंतर्विष्ट नहीं थी । किसी पद पर किसी सदस्य की नियुक्ति की तारीख इस बात को अवधारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या कोई मामला अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार विनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आता है । उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा सुस्थापित है [देखिए निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटा राव (एआईआर 1953 एससी 201); बृन्दाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एससी 1892); निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609)] कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग केवल ऐसे पदों से संबंधित प्रश्नों की ही जांच कर सकते हैं, जिन पर संसद् सदस्यों को, ऐसे सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात्, नियुक्त किया जाता है । इसलिए, आयोग की तारीख 13 अप्रैल, 2006 की सूचना द्वारा याची को उस संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी 5 मई, 2006 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था । जब काफी समय तक उससे कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ था तब आयोग ने अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उसे और अवसर देते हुए 18.8.2006 को एक अन्य सूचना जारी की । उससे 8.9.2006 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।

6. तारीख 7.9.2006 को याची ने एक पत्र यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया कि उसे अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह की और अपेक्षा होगी । उसने केवल प्रत्यर्थियों का डाक पता ही प्रस्तुत किया । आयोग ने उसके समय के विस्तार के अनुरोध पर विचार किया और अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उसे समर्थ बनाने के लिए 3.10.2006 तक का और समय दिया ।

7. चूंकि विस्तारित समय अवधि की समाप्ति के पश्चात् याची ने कोई जानकारी या कोई और उत्तर प्रस्तुत नहीं किया इसलिए आयोग ने अनुच्छेद 103(2) के अधीन उसे निर्दिष्ट अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए समर्थ बनाने हेतु श्री किरेन रिजिजू के मामले में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य के पद के संबंध में कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से और श्री कैलाश जोशी के मामले में राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्य के पद के संबंध में कृषि मंत्रालय से सीधे सुसंगत जानकारी अभिप्राप्त करने का विनिश्चय किया ।

तदनुसार आयोग ने 18 दिसंबर, 2006 के पत्रों द्वारा अभिकथित पदों पर प्रत्यर्थियों की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के साथ उनके संबंधित पदों पर दोनों प्रत्यर्थियों की नियुक्ति की तारीख प्रस्तुत करने के लिए कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से अनुरोध किया ।

8. कृषि मंत्रालय ने तारीख 28.12.2006 के उनके उत्तर द्वारा यह कथन किया था कि श्री कैलाश जोशी को 2 अप्रैल, 2002 से राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 4(4)(ङ) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास (नोवोड) बोर्ड, गुड़गांव के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और यह कि वह 14वीं लोक सभा के लिए उसके निर्वाचन के परिणामस्वरूप जुलाई, 2004 में नोवोड बोर्ड का ऐसा सदस्य नहीं रह गया था । इसके अतिरिक्त कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग की तारीख 8 मार्च, 1984 की अधिसूचना की धारा 4(ii) के अनुसार नोवोड बोर्ड का कोई सदस्य उस बोर्ड का सदस्य नहीं रह जाएगा यदि वह संसद के उस सदन का सदस्य नहीं रह जाता है जिसके द्वारा वह इस प्रकार निर्वाचित किया गया था । उन्होंने इस संबंध में राज्य सभा सचिवालय के तारीख 8 जुलाई, 2004 का कार्यालय ज्ञापन भी प्रस्तुत किया । यह देखा गया है कि श्री जोशी उस समय राज्य सभा का सदस्य था जब वह तारीख 2.4.2002 को नोवोड बोर्ड के सदस्य के रूप में (राज्य सभा के सदस्यों द्वारा) निर्वाचित किया गया था । श्री जोशी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 69 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार तारीख 13.5.2004 को लोक सभा के सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन पर उस तारीख से राज्य सभा का सदस्य नहीं रह गया था ।

9. श्री कैलाश जोशी को अप्रैल-मई, 2004 में आयोजित लोक सभा के साधारण निर्वाचन में लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था । इस प्रकार श्री कैलाश जोशी लोक सभा के वर्तमान सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन के पूर्व और उसके समय राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति विकास बोर्ड के सदस्य का पद धारण कर रहा था । इस प्रकार वर्तमान याचिका में उठाया गया प्रश्न श्री कैलाश जोशी की अभिकथित निरर्हता, यदि कोई हो, से संबंधित है, जो अप्रैल-मई, 2004 में लोक सभा के लिए उसके निर्वाचन के समय और उसके पूर्व विद्यमान थी । जहां तक सुसंगत समय पर राज्य सभा की उसकी सदस्यता का संबंध है वह वर्तमान याचिका के फाइल किए जाने के काफी समय पूर्व राज्य सभा का सदस्य नहीं रह गया था । इसलिए राज्य सभा की तत्कालीन सदस्यता के संबंध में उसकी नियुक्ति की विविक्षा के संबंध में जांच करने की आवश्यकता नहीं है

क्योंकि मई, 2004 में उस सदन में उसकी सदस्यता की समाप्ति के साथ ही यह मुद्दा जीवित मुद्दा नहीं रह गया था (कृपया श्री बलबीर के.पुंज, श्री निलोत्पल बासु और डा. करण सिंह (राज्य सभा के सदस्य) से संबंधित 2006 के निर्देश मामला सं. 10, 3 और 7-8 तथा 36 में आयोग की तारीख 07.04.2006, 06.06.2006 और 31.7.2006 की राय देखें)।

10. कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ने अपने तारीख 3.1.2007 के उत्तर में अन्य बातों के साथ यह कथन किया था कि श्री किरेन रिजिजू ने क्रमशः 31.12.2001 से 14.10.2004, 31.1.2002 से 14.10.2004 और 13.2.2003 से 14.10.2004 तक की अवधि के दौरान खादी और पोलीवस्त्र के संबंध में अंशकालिक सदस्य, केवीआईसी, आयोग की स्थायी वित्त समिति (वीआई) के सदस्य और जोन प्रमाणन समिति के अध्यक्ष (उत्तर-पूर्व जोन) के रूप में विभिन्न पद धारण किए थे ।

11. श्री किरेन रिजिजू को मई, 2004 में आयोजित लोक सभा के साधारण निर्वाचन में संसद (लोक सभा) सदस्य के रूप में भी निर्वाचित किया गया था । इस प्रकार कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह देखा गया है कि श्री किरेन रिजिजू मई, 2004 में लोक सभा के सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन के पूर्व और उसके समय खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य का पद धारण कर रहा था ।

12. उपरोक्त से यह देखा गया है कि दोनों प्रत्यर्थियों के मामले में प्रश्नगत पदों पर नियुक्तियां लोक सभा के सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचनों के पूर्व की गई थीं । इसलिए ये निर्वाचन पूर्व निरर्हता के मामले हैं । ऊपर निर्दिष्ट सुस्थापित संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऊपर उल्लिखित पैरा 4 में श्री कैलाश जोशी और श्री किरेन रिजिजू की अभिकथित निरर्हताओं का प्रश्न जो यदि कोई निरर्हता आकर्षित करता है तो वह निर्वाचन पूर्व निरर्हता का मामला है, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है । आयोग के पास ऐसी अभिकथित निर्वाचन पूर्व की निरर्हता के प्रश्न पर कोई राय अभिव्यक्त करने की कोई अधिकारिता नहीं है । निर्वाचन पूर्व निरर्हता अर्थात् निर्वाचन की तारीख को विद्यमान निरर्हता के मामले संविधान के अनुच्छेद 329(ख) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 के अधीन संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है न कि अनुच्छेद 103 (1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष । वर्तमान याचिका जहां तक उसका संबंध श्री कैलाश जोशी और श्री किरेन रिजिजू से है इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है ।

13. श्री किरेन रिजिजू और श्री कैलाश जोशी के संबंध में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को निर्वाचन आयोग की इस आशय की राय के साथ वापिस भेजा जाता है कि श्री कैलाश जोशी और श्री किरेन रिजिजू की अभिकथित निर्रहता का प्रश्न उठाए जाने वाली याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है ।

ह./- ह./- ह./-

(एस.वाई. कुरेशी) (एन. गोपालस्वामी) (नवीन बी. चावला)
निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19 फरवरी, 2007

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2007

S.O. 648(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas a petition dated the 28th March, 2006 raising the question of alleged disqualification of six Members of Parliament, namely, (1) Prof. Vijay Kumar Malhotra, (2) Shri Santosh Gangwar, (3) Ms. Jayaben Thakkar, (4) Shri Kiren Rijiju, (5) Shri Kailash Joshi and (6) Shri Ajit Kumar Singh, under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Vikas Kumar Arya, Advocate & Secretary, All India Lawyer's Forum for Civil Liberties;

And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 31st March, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question of alleged disqualification of afore-mentioned six Members of Parliament as to whether they have become subject to disqualification for being a Member of Parliament under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has already tendered its opinion with regard to two Members of Parliament, namely, (1) Prof. Vijay Kumar Malhotra, and (2) Shri Ajit Kumar Singh;

And whereas the Election Commission has stated that the present opinion relates to the question of alleged disqualification Shri Kiren Rijiju and Shri Kailash Joshi;

And whereas the Election Commission has proposed that the opinion in respect of the remaining two Members of Parliament, viz. Ms. Jayaben Thakkar and Shri Santosh Gangwar, will be tendered separately;

And whereas the petitioner has alleged that Shri Kiren Rijiju was holding the office of the Member, Khadi & Village Industries Commission and Shri Kailash Joshi was holding the office of the Member, National Oil Seeds & Vegetable Oils Development Board and the petitioner has contended that these offices are offices of profit and the Members of Parliament have incurred disqualification under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution on account of their holding the respective offices;

And whereas the Election Commission has rendered its opinion (*vide* Annex) that as in both the cases, the appointments to the offices in question were made prior to their election as Member of Parliament (Lok Sabha), these are cases of pre-election disqualification and being a case of pre-election disqualification, if at all any disqualification is attracted, the question of alleged disqualification cannot be raised before the President under clause (1) of article 103 of the Constitution and, therefore, the petition in so far as it relates to the question of alleged disqualification of Shri Kailash Joshi and Shri Kiren Rijiju is not maintainable.

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, do hereby hold that the petition of Shri Vikas Kumar Arya in so far as it relates to the question of alleged disqualification of Shri Kailash Joshi and Shri Kiren Rijiju, Members of Parliament (Lok Sabha) is not maintainable under clause (1) of article 103 of the Constitution.

10th April, 2007

President of India

[F. No. H-11026(7)/2007-Leg. II]

Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl. Secy.

ANNEX

Election Commission of India

NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली – 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

Reference Case No. 35 of 2006
[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

In *re:*
Alleged disqualification of Shri Kiren Rijiju and Shri Kailash Joshi, Members of Parliament(Lok Sabha), under Article 102-(1) (a) of the Constitution

OPINION

A reference dated 31st March, 2006 was received from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking the opinion of the Election Commission on the question of alleged disqualification of six MPs, viz, (1) Prof. Vijay Kumar Malhotra (Lok Sabha), (2) Shri Santosh Gangwar, MP (Lok Sabha), (3) Ms. Jayaben Thakkar (Lok Sabha), (4) Shri Kiren Rijiju (Lok Sabha) , (5) Shri Kailash Joshi (Lok Sabha) and (6) Shri Ajit Kumar Singh (Lok Sabha), for being Members of the Parliament under Article 102 (1)(a) of the Constitution.

2. The question of alleged disqualification of the aforesaid six persons was raised in a petition dated 28th March, 2006, submitted to the President by Sh. Vikas Kumar Arya, Advocate & Secretary, All India Lawyers' Forum for Civil Liberties (AILFCL). Out of the six MPs mentioned in the petition, the Commission has already tendered its opinion with regard to (1) Prof. Vijay Kumar Malhotra (Lok Sabha), and (2) Shri Ajit Kumar Singh, MP (Lok Sabha).

3. The present opinion relates to the question of alleged disqualification of Shri Kiren Rijiju and Shri Kailash Joshi (two of the respondents in the petition).

4. The Opinion in respect of the remaining two MPs, viz. Ms. Jayaben Thakkar and Shri Santosh Gangwar, will be tendered separately as the enquiry into their cases is still

underway. The allegation in the petition with regard to Shri Kiren Rijiju was that he was holding the office of the Member, Khadi & Village Industries Commission and regarding Shri Kailash Joshi, the allegation was that he was holding the office of the Member, National Oilseeds & Vegetable Oils Development Board. The petitioner has contented that the above mentioned offices held by the respondents are offices of profit and the respondents have incurred disqualification under Article 102 (1) (a) on account of their holding the respective offices. The petitioner has further stated the respondents have been entitled to various financial benefits/perks/privileges on account of holding the offices of profit and, as such, the respondents have become disqualified with retrospective effect for being members of Parliament.

5. The petition was, however, not accompanied by any document to support the contention that the offices to which the respondents had been appointed were offices of profit under the Government. The petition did not even contain the basic information about the date(s) of appointments of the respondents to the offices referred to in the petition. The date of appointment of a Member to an office is vital to determine whether the case falls within the jurisdiction of the President to decide in terms of Article 103 (1). It is well settled by catena of decisions of the Supreme Court {See Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201); Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892); Election Commission Vs. N.G.Ranga (AIR 1978 SC 1609)} that under Article 103 (1) of the Constitution, the President and the Election Commission can look into the questions of only those offices to which the Members of Parliament are appointed after their election as such Members. The petitioner was, therefore, asked to furnish, by 5th May, 2006, specific information in that regard, vide the Commission's Notice dated 13th April, 2006. When there was no response from him for a considerable time, the Commission issued another notice to him, on 18.8.2006, giving him further opportunity to furnish the requisite information. He was asked to submit his reply by 8.9.2006.

6. On 7.9.2006, the petitioner submitted a letter stating that he would require four more weeks to submit his reply. He only furnished the postal addresses of the respondents. The Commission considered his request for extension of time and granted him further time up to 3.10.2006, to enable him to submit the desired information.

7. As even after expiry of the extended deadline, the petitioner did not furnish any information or any further reply, the Commission decided to obtain the relevant information directly from the Ministry of Agro and Rural Industries in respect of the office of Member, Khadi & Village Industries Commission in the case of Shri Kiren Rijiju, and from the Ministry of Agriculture in respect of the office of Member, National Oilseeds & Vegetable Oils Development Board in the case of Shri Kailash Joshi, to be able to give its opinion to the President on the question of alleged disqualification referred to the Commission under Article 103(2). Accordingly, vide letters dated 18th December 2006, the Commission requested the Ministry of Agro and Rural Industries and the Ministry of Agriculture to furnish the date(s) of appointment(s) of the two respondents to their respective offices together with the terms & conditions of their appointment to the alleged offices.

8. The Ministry of Agriculture, vide their reply dated 28.12.2006, stated that Shri Kailash Joshi was appointed as a Member of National Oil Seeds and Vegetable Oils Development (NOVOD) Board, Gurgaon, in terms of section 4(4)(e) of the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board Act, 1983 with effect from 2nd April, 2002 and that he ceased to be such member of the NOVOD Board in July, 2004 consequent upon his election to the 14th Lok Sabha. Further, as per section 4(ii) of the notification dated 8th March, 1984, of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, a member of the NOVOD Board shall cease to be member of the Board if he ceases to be Member of the House of Parliament by which he was so elected. They also submitted, the Office Memorandum dated 8th July 2004 of the Rajya Sabha Secretariat in this regard. It is seen that Shri Joshi was a member of the Rajya Sabha when he was elected (by the members of the Rajya Sabha) as a member of the

NOVOD Board on 2.4.2002. Shri Joshi ceased to be a member of the Rajya Sabha with effect from 13.5.2004 upon his election as a member of the Lok Sabha on that date as per the provisions of sub-section (2) of Section 69 of the Representation of the People Act,1951.

9. Shri Kailash Joshi was elected as a Member of the Lok Sabha at the general election to the House of People held in April-May, 2004. Thus, Shri Kailash Joshi was holding the office of the Member, National Oilseeds & Vegetable Oils Development Board prior to, and at the time of, his election as current member of the Lok Sabha. Thus, the question raised in the present petition relates to alleged disqualification, if any, of Shri Kailash Joshi, which existed at the time of, and prior to his election to the Lok Sabha in April-May, 2004. As regards his membership of the Rajya Sabha at the relevant time, he had ceased to be a member of the Rajya Sabha long before the present petition was filed. Therefore, there is no need to look at the implication of his appointment with regard to the then membership of the Rajya Sabha, as with the cessation of his membership in that House in May,2004, the issue ceased to be a live issue (kindly see the opinion dated 07.04.2006, 06.06.2006 and 31.7.2006 of the Commission in Reference Case Nos. 10, 3 and 7-8 &36 of 2006 relating to Shri Balvir K. Punj, Shri Nilotpal Basu and Dr. Karan Singh (Members of Rajya Sabha).

10. The Ministry of Agro and Rural Industries, in its reply dated 3.1.2007, inter-alia, stated that Shri Kiren Rijiju held various offices as part-time Member, KVIC, Member, Standing Finance Committee(V.I.) of the Commission and Chairman (NE Zone) of Zonal Certification Committee, in respect of khadi and polyvastra during the period from 31.12.2001 to 14.10.2004, 31.1.2002 to 14.10.2004 and 13.2.2003 to 14.10.2004 respectively.

11. Shri Kiren Rijiju was also elected as Member of Parliament (Lok Sabha) at the general election to the House of People held in May 2004. Thus, from the information furnished by the Ministry of Agro & Rural Industries, it is seen that Shri Kiren Rijiju was

holding the office of the member of Khadi & Village Industries Commission prior to, and at the time of, his election as member of the Lok Sabha in May, 2004.

12. From the above, it is seen that in the case of both the respondents, the appointments to the offices in question were made prior to their elections as members of the Lok Sabha. Hence, these are cases of pre-election disqualification, if at all. In view of the well- settled constitutional position, referred to above, in above-mentioned paragraph 4, the question of the alleged disqualifications of Shri Kailash Joshi and Shri Kiren Rijiju, being case of pre-election disqualification, if at all any disqualification is attracted, cannot be raised before the President under Article 103(1) of the Constitution. The Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre-election disqualification. Cases of pre-election disqualification, i.e. disqualification existing on the date of election can be raised before the High Court concerned, under Article 329(b) of the Constitution and Part VI of Representation of the People Act, 1951, and not before the President under Article 103(1). The present petition, in so far as it relates to Shri Kailash Joshi and Shri Kiren Rijiju, is thus not maintainable before the President in terms of Article 103(1) of the Constitution.

13. The reference received from the President in respect of Shri Kiren Rijiju and Shri Kailash Joshi is hereby returned with the opinion of the Election Commission, to the effect that the petition raising the question of alleged disqualification of Shri Kailash Joshi and Shri Kiren Rijiju is not maintainable before the President in terms of Article 102(1)(a) of the Constitution of India.

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(S.Y.Quraishi)	**(N.Gopalaswami)**	**(Navin B.Chawla)**
Election Commissioner	**Chief Election Commissioner**	**Election Commissioner**

Place : New Delhi
Dated: 19th February, 2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.